महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थपित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of1997)

ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर
एसोशिएट प्रोफेसर/क्षेत्रीय निदेशक (दू.शि.)
Dr. Ravindra T. Borkar
Associate Professor/Regional Director (D.E.)

दूर शिक्षा निदेशालय
Directorate of Distance Education

दिनांक :30/03/2016

एम.बी.ए. परियोजना सूचना

(फरवरी 2016 में एम.बी.ए. तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिए) (सूची संलग्न)

फरवरी 2016 मे एम.बी.ए. तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों (संलग्न सूची) को सूचित किया जाता है कि परियोजना कार्य के संबंधित निम्नांकित गतिविधियो को निर्धारित तिथियों के अनुसार संपन्न कर निदेशालय में उपलब्ध कराए।

परियोजना कार्य से संबंधित सभी गतिविधियाँ परियोजना कार्य दिशा-निर्देश (दिसंबर 2013-14) के अनुसार संपन्न करें। परियोजना कार्य दिशा-निर्देश दिसंबर 2013-14 इस सत्र के लिए भी लागू रहेगा। परियोजना कार्य दिशा-निर्देश की प्रति सूचना के साथ संलग्न है।

क्र.	गतिविधियाँ	निर्धारित तिथियाँ
1	पर्यवेक्षक अनुमोदित करने हेतु पर्यवेक्षक आत्मवृत्त प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20 अप्रैल 2016
2	स्वीकृत पर्यवेक्षक सूची विश्वविदयालय वेबसाईट पर जारी करने की तिथि	30 अप्रैल 2016
3	परियोजना कार्य विषय रूपरेखा एवं अनुमोदन पत्रक भरकर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30 मई 2016
4	अनुमोदित विषय रूपरेखा के साथ छात्रों की सूची विश्वविदयालय वेबसाईट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2016
5	विषय रूपरेखा अनुमोदन के पश्चात परियोजना कार्य संबंधित छात्रों द्वारा दो प्रतियों में विश्वविदयालय में जमा करने की अंतिम तिथि	30 सितंबर 2016

अन्य सूचना :

1. पर्यवेक्षक का चयन छात्रों द्वारा किया जायेगा। संबंधित पर्यवेक्षक अपनी सम्मति/राय छात्रों के (संलग्न प्रारूप में) अनुरोध पत्र पर लिखकर एवं आत्मवृत (Bio-data) शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र की झेरॉक्स की कॉपी देते हुए छात्रों द्वारा निदेशालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
   (अनुरोध पत्र का प्रारूप संलग्न है)
2. पर्यवेक्षक अनुमोदन हेतु छात्र द्वारा चयनित पर्यवेक्षक की शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र एवं कर्मचारी पहचान पत्र की झेरॉक्स के साथ संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा शिफारिस करने पर छात्र का अनुरोध पत्र स्वीकृत किया जायेगा। इस आधार पर ही पर्यवेक्षक को विश्वविदयालय द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा।
3. 1 जनवरी 2014 के पूर्व जिन पर्यवेक्षकों के नाम विश्वविदयालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गये थे, वह पर्यवेक्षक संबंधित सत्र 2012-13 के लिए संबंधित छात्रों के लिए ही अनुमोदित थे। अत: वह पर्यवेक्षक इस सत्र के लिए सिधे तौर पर स्वीकृत नहीं है। परंतु ऐसे सभी पर्यवेक्षक जो परियोजना कार्य दिशा निर्देश 2013-14 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव धारण करते हैं ऐसे पर्यवेक्षक का छात्र द्वारा चयन किया

डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर

एसोशिएट प्रोफेसर/क्षेत्रीय निदेशक (दू.शि.)

Dr. Ravindra T. Borkar

Associate Professor/Regional Director (D.E.)

दूर शिक्षा निदेशालय

Directorate of Distance Education

जा सकता हैं। जिन छात्रों को पिछले वर्ष के अनुमोदित पर्यवेक्षक खुद के लिए चयन करना है ऐसे सभी छात्रों ने उन पर्यवेक्षकों का आत्मवृत एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र एवं कर्मचारी पहचान (Employee ID) पत्र की झेरॉक्स कॉपी के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षक को अनुमोदन हेतु विचार करेगा।

4. पर्यवेक्षक स्वीकृती प्राप्त करने के पश्चात छात्रो को गतिविधि क्र. 3 हेतु परियोजना कार्य विषय-रूपरेखा, दिनांक 30 मई 2016 तक प्रस्तुत करनी होगी ।
5. दिनांक 30 मई 2016 तक प्राप्त परियोजना कार्य विषय-रूपरेखा का मूल्यांकन उपरान्त स्वीकृत/अस्वीकृत परियोजना कार्य विषय-रूपरेखा के संबंध में दिनांक 15 जुलाई 2016 तक सुचित किया जायेगा।
6. उक्त के अनुसार परियोजना कार्य विषय-रूपरेखा स्वीकृती प्राप्त होने पर अपना परियोजना कार्य (दिशा-निर्देश के अनुसार सम्पन्न कर) दिनांक 30 सितंबर 2016 तक दो प्रतियों मे प्रस्तुत करे।
7. फरवरी 2016 के प्रवेशित छात्रों ने परियोजना कार्य के शुल्क, सत्र-शुल्क के साथ भर दिये है। अत: इसलिए निर्धारित समय पर परियोजना कार्य के संबंध में कार्यवाही करने पर रू. 1000/- शुल्क दण्डित होने का प्रश्न नही उठता ।
8. आपके शहर मे आपको पर्यवेक्षक की ओर से संमत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके शहर से प्रवेशित अन्य छात्र द्वारा चयनित पर्यवेक्षक के अधिन परियोजना कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक पर्यवेक्षक के अधिन अधिक से अधिक पॉच छात्र परियोजना कार्य संपन्न कर सकते है।
9. संज्ञान में लाया जाता है कि पूर्व के सभी अध्ययन केंन्द्रों की मान्यता निरस्त की जा चुकी है। अत: पाठयक्रम में उल्लेखित परियोजना कार्य अध्ययन केन्द्र के द्वारा प्रस्तुत ना करे। सीधे मुख्यालय वर्धा में प्रस्तुत करना होगा।
10. परियोजना कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक समय मूल्यांकन कर्ता को देना आवश्यक है। मूल्यांकन उपरांत परिणाम घोषित किया जाएगा।
11. अध्ययन केन्द्र से पूर्व में अनुमोदित पर्यवेक्षक का चयन छात्रों द्वारा किया जा सकता है पर ऐसे पर्यवेक्षक का आत्मवृत एवं शैक्षणिक अर्हता की झेरॉक्स कॉपी छात्र द्वारा अनुरोध पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही अनुमोदन के लिए विचार किया जायेगा।
12. विश्वविदयालय द्वारा परियोजना कार्य के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर

एसोशिएट प्रोफेसर/क्षेत्रीय निदेशक(दूर शिक्षा)